Form- 1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. /Rev/2020/10260 Dated 28/X/2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.5904 Hectare of forest land in Village KHEEMPURA and 1.3792 Hectare of forest Land in Village Masuda of Tehsil Masuda (Total 4.9696 Hectate) forest division Beawar** proposed to be **diverted in favour of Project Director (PPP), Public Works Department, Ajmer for development of Beawar-Masuda-Goyala Road in District Ajmer**

It is further certified that :

(d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire **4.9696 Hr**. of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residning in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1** to **annexure**.

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

(Prakash Rajpurohit)
District Collector, AJMER

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.10.2020 का कार्यवाही विवरण :–

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.10.2020 को सायं 04:00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :–

1. **प्रस्ताव** :– परियोजना निदेशक (पीपीपी), सावर्जनिक निर्माण विभाग, अजमेर द्वारा पत्रांक 429 दिनांक 06.08.2020 से अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा ब्यावर मसूदा गोयला सड़क को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, यह परियोजना एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है तथा उक्त कार्य से प्रभावित हो रही **ग्राम खीमपुरा तहसील मसूदा की 3.5904है0 एवं ग्राम मसूदा तहसील मसूदा की 1.3792है0 कुल 4.9696है0 वन भूमि** के प्रत्यर्पण तथा एफ आर ए सर्टिफिकेट जारी करने का निवेदन किया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः परियोजना निदेशक (पीपीपी), सार्वजनिक निर्माण विभागअजमेर द्वारा चाहा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,अजमेर

उप वन संरक्षक,
अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा जिला अजमेर

परियोजना निदेशक (पीपीपी)
सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर